

# [REVISED PLAN]

पत्रावली संख्या - IV - 1408

पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

पत्र संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2016/ IV - 1408/ 931

दिनांक:

07/10/16

सेवा में,

**M/s Golfgreen Mansions Pvt. Ltd.,  
H - 58, Sector - 63,  
Noida - 201301**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2016 के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तावित **स्पोर्ट सिटी भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 01/ डी - 04, सैक्टर - 79, नोएडा** पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ पुनरीक्षित भवन मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान की स्वीकृति संख्या IV - 1374/पुनरीक्षित स्वीकृति - 734 दिनांक 16.06.2014 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि यथावत पूर्णरूप से सबलीज धारक पर भी लागू होगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा।

16. ब्रोशर, लीजडीड, सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगुलेशन्स आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे।
17. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
18. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में संलग्नक - 2 पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा।
19. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनउपयोगित एफ0ए0आर0 11,132.431 वर्ग मी0 के आवासीय उपयोग से स्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय निर्माण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है। इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी।
20. ग्रीन बिल्डिंग हेतु अनुमन्य अतिरिक्त 5% एफ0ए0आर0 भवन विनियमावली, 2010 के प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमन्य होगा।
21. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
23. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तों/लीज डीड की शर्तों/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
24. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोटिंग यूज में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी।
26. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
27. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
28. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
29. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।

# [REVISED PLAN] पत्रावली संख्या - IV - 1408

30. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्य, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
31. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
32. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
33. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्ज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है ।
34. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी । पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी ।
35. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा ।
36. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी ।
37. आबंटी संस्था ने सन्दर्भित भवन को ग्रीन बिल्डिंग के लिए आई0जी0बी0सी0 ग्रीन होम्स रेटिंग में पंजीकरण कराया है, जिसकी प्रति पत्रावली में सम्मुख संलग्न है । भवन विनियमावली के अध्याय 3 के बिन्दु सं0 24.8(14) में ग्रीन बिल्डिंग के लिए प्रथक से 5% अतिरिक्त एफ0ए0आर0 का प्राविधान है । इस आधार पर आबंटी संस्था ने सन्दर्भित भवन के लिए 5% अतिरिक्त एफ0ए0आर0 प्रस्तावित किया है । आई0जी0बी0सी0 ग्रीन होम्स रेटिंग की मान्यता के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी /लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
38. पुनरीक्षित स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है । भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

## सब लीज भूखण्ड डी - 4 पर प्रस्तावित निर्माण

• सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल	=	25,000.00 वर्ग मी0
• स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन (आवासीय)	=	7175.00 वर्ग मी0
भू-आच्छादन (वाणिज्यिक)	=	325.00 वर्ग मी0
कुल	=	7500.00 वर्ग मी0

# [REVISED PLAN]

पत्रावली संख्या - IV - 1408

एफ0ए0आर0(आवासीय)	=	61,812.50 वर्ग मी0
एफ0ए0आर0(वाणिज्यिक)	=	687.50 वर्ग मी0
कुल	=	62,500.00 वर्ग मी0
ग्रीन बिल्डिंग हेतु अनुमन्य एफ0ए0आर0 पर 5% अतिरिक्त	=	3125.00 वर्ग मी0
कुल अनुमन्य एफ0ए0आर0	=	65,625.00 वर्ग मी0

नोट- आबंटी संस्था द्वारा 5% ग्रीन बिल्डिंग हेतु आई0जी0बी0सी0 से प्राप्त प्रपत्र जमा कराया गया है, जिसका पंजीकरण सं0 जीएच - 131681 है।

- प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार

सैटबेक	=	न्यूनतम आवश्यक/स्वीकृत ले आउट के अनुसार
भू-आच्छादन (आवासीय)	=	4445.442 वर्ग मी0
भू-आच्छादन (वाणिज्यिक)	=	325.000 वर्ग मी0
कुल	=	4770.442 वर्ग मी0
एफ0ए0आर0(आवासीय)	=	64,891.10 वर्ग मी0
एफ0ए0आर0(वाणिज्यिक)	=	687.30 वर्ग मी0
कुल	=	65,578.40 वर्ग मी0

कुल फ्लैटों की अनुमन्य संख्या	=	625 अदद
कुल फ्लैटों की प्रस्तावित संख्या	=	616 अदद
4.5 व्यक्ति प्रति फ्लैटों की दर से जनसंख्या	=	(616X4.5) = 2772 व्यक्ति
भवन की ऊँचाई	=	79.05 मी0
पार्किंग की आवश्यकता(आवासीय) 64,891.10/80	=	811.00 ई0सी0एस0
पार्किंग की आवश्यकता(वाणिज्यिक) 687.30/50	=	13.75 ई0सी0एस0
कुल पार्किंग की आवश्यकता	=	824.75 ई0सी0एस0
@ 1 ई0सी0एस0 प्रति 80 वर्ग मी0 एफ0ए0आर		

प्रस्तावित ई0सी0एस0

स्टिल्ट/ बेसमेंट की पार्किंग@ 30ई0सी0एस0	=	21,613.276/30=720.443 ई0सी0एस0
सर्फेस पार्किंग @ 20 ई0सी0एस0	=	10,641.192/20 = 532.06 ई0सी0एस0
स्टिल्ट पार्किंग @ 30 ई0सी0एस0	=	1332.392 /30 = 44.40 ई0सी0एस0
कुल ई0सी0एस0	=	1296.90 ई0सी0एस0

खुला क्षेत्रफल	=	25,000.00-4770.442=20,229.558 वर्ग मी0
हरित क्षेत्रफल	=	खुला क्षेत्रफल का 50% =10,114.779 वर्ग मी0 (आवश्यक)

वृक्षों की संख्या	=	10,370.261 प्रस्तावित
	=	1 पौधा प्रति 100 वर्ग मी0 खुले क्षेत्रफल का
	=	$\frac{20,229.558}{100} = 202.29 = 202$ वृक्ष (आवश्यक)
	=	210 अदद (प्रस्तावित)

आबंटी संस्था द्वारा मानचित्रों में कुल 210 पौधों की संख्या प्रस्तावित की है, जिसमें से 50 प्रतिशत पौधे लम्बी अवधि एवं घने छायादार दर्शाये गये हैं।

# [REVISED PLAN]

पत्रावली संख्या - IV - 1408

तल - वार विवरण

तल	उपयोग	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल (वर्ग मी०)		पुनरीक्षित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	
		नॉन एफ.ए.आर. सर्विस क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	नॉन एफ.ए.आर. सर्विस क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
भूतल/स्टिल्ट	आवासीय /कम्युनिटी वाणिज्यिक	468.732	819.827	1332.392	1021.270
प्रथम तल	आवासीय /कम्युनिटी वाणिज्यिक	663.183	3730.465	440.455	3784.519
द्वितीय तल	आवासीय/ वाणिज्यिक	420.993	3557.577	530.483	3694.525
तृतीय तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
चतुर्थ तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
पंचम तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
छटवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
सातवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
आठवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
नौवा तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
दसवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
ग्यारहवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
बारवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
तेरहवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
चौदहवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
पन्द्रहवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	412.565	3639.504
सोलहवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	292.309	2441.134
सत्रहवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	292.309	2441.134
अठ्ठारहवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	292.309	2441.134
उन्नीसवां तल	आवासीय	420.993	3458.211	292.309	2441.134
बीसवां तल	आवासीय	226.420	1802.315	.....	....
इक्कीसवां तल	आवासीय	226.420	1802.315	.....	....
बाइसवां तल	आवासीय	49.595	517.854	....	....
तेइसवां तल	आवासीय	49.595	517.854	....	....
चौबीसवां तल	आवासीय	49.595	517.854	....	....
टैरिस तल	ममटी/	577.315	....	403.744	
गार्ड रूम /	मशीनरूम	31.000	....	45.00	
टैम्परेरी स्ट्रक्चर				90.00	
कुल		9919.729	72055.648	9374.656	65578.399


कुल पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर, सेवा एवं तहखाना एवं स्टिल्ट सहित)	= 82,035.377 + 275.000 + 22,832.995 + 4269.049 = 1,09,412.421 वर्ग मीटर
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (एफ.ए.आर, सेवा एवं तहखाना एवं स्टिल्ट सहित)	= 9,374.656 + 65,578.399 + 21,970.076 = 96,923.131 वर्ग मीटर

टिप्पणी - स्पोर्ट सिटी/मनोरंजन का अवशेष एफ.ए.आर. 11,132.431 वर्ग मी० जोकि कुल आवासीय अनुमत्य एफ०ए०आर० 61,812.50 वर्ग मी० का 18.01% है का उपयोग आवासीय/ग्रुप हाउसिंग के उपयोग में सभी मनोरंजन/स्पोर्ट सिटी सुविधाओ के पूर्ण होने के बाद किया जा सकेगा।

Map for proposed Building is as per Bye  
Laws submitted for approval Please.



Asst. Archt Architect

  
नाम.....  
पद..... प्रवीण श्रीवास्तव  
नोएडा वास्तुविद  
नोएडा

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी(वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।